

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)

क्रमांक: रथा./2018/212

दिनांक : 02/08/2018

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प12(5)वित्त/नियम 2005 दिनांक 02.09.2016, कार्मिक (क-गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.07.2017 द्वारा किए गए संशोधनों के फलस्वरूप श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)27/14/6301 दिनांक 26.08.2017 तथा पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)23/85/8213 दिनांक 09.11.2017 द्वारा धौलपुर न्यायक्षेत्र के लिये जारी पदों के पुर्ननिर्धारण के आदेश में स्वीकृत रीडर ग्रेड-द्वितीय के अनिर्धारित पदों पर उपरोक्त आदेशों/अधिसूचना वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में धौलपुर न्यायक्षेत्र में कार्यरत/सेवानिवृत्त/सेवा के दौरान मृतक कर्मचारीगण को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से/अवधि तक दिनांक 01.04.2003 के पश्चात समय-समय पर जारी किए गए पदोन्नति आदेशों को प्रभावशून्य/संशोधित/अतिलिखित करते हुए बरीयत-सह-योग्यता के आधार पर विनयीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 01.04.2003 से वेतन श्रृंखला 5000-150-8000 (10) व दिनांक 01.09.2006 से पी.बी.-2 रनिंग पे बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3200/- तथा दिनांक 01.07.2013 से पी.बी.-2 रनिंग पे-बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3600/- एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 के तहत नियमानुसार पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-10 के अनुसार वेतन स्वीकृत किया जाकर निम्नानुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदोन्नति की तिथि व अवधि	विशेष विवरण
1	श्री सुरेश चंद शर्मा	01.04.03 से 27.02.04 तक	निधन होने तक पुनः नामित
2	श्री विजय कुमार हंस	01.04.03 से 27.02.04 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
3	श्री रतनलाल शर्मा	01.04.03 से 07.10.06 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
4	श्री जुगलकिशोर शर्मा	01.04.03 से 17.11.06 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
5	श्री आदर्श कुमार अग्रवाल	01.04.03 से 30.04.07 तक	पदोन्नति तक पुनः नामित
6	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	03.03.06 से 30.11.09 तक	पदोन्नति तक
7	श्री रामनिवास त्यागी	28.02.04 से 02.03.06 तक	पदोन्नति तक
8	श्री गंभीर सिंह चौहान	28.02.04 से 31.07.11 तक	पदोन्नति तक
9	श्री महेशदत्त शर्मा	01.05.07 से 31.12.11 तक	पदोन्नति तक
10	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी	08.10.06 से 07.04.13 तक	पदोन्नति तक
11	श्री नंदकिशोर शर्मा	18.11.06 से 16.07.13 तक	पदोन्नति तक
12	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	01.12.09 से 30.04.14 तक	पदोन्नति तक
13	श्री मोहनसिंह	01.08.11 से 30.09.16 तक	पदोन्नति तक
14	श्री सतपाल सिंह	01.02.16 से 19.12.17 तक	पदोन्नति तक
15	श्री राजकुमार अग्रवाल	01.01.12 से 31.01.16 तक	पदोन्नति तक
16	श्री राधावल्लभ वर्मा	01.05.14 से 19.12.17 तक	पदोन्नति तक
17	श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	08.04.13 से 19.12.17 तक	पदोन्नति तक
18	श्री नरेश कुमार गोयल	17.07.13 से 19.12.17 तक	पदोन्नति तक
19	श्री हेमचंद गुप्ता	01.10.16 से 19.12.17 तक	पदोन्नति तक
20	श्री गोविंद राम महावर	05.04.18 से लगातार	-
21	श्री मुकेश बंसल	20.12.17 से 04.04.18 तक	पदोन्नति तक
22	श्री रामदुलारे सिंह	20.12.17 से 30.04.18 तक	पदोन्नति तक
23	श्री मुनीष कुमार महे	20.12.17 से 31.07.18 तक	पदोन्नति तक
24	श्री रमेशचंद मीणा	20.12.17 से लगातार	-
25	श्री नत्थीलाल नागर	20.12.17 से लगातार	-
26	श्री विजयसिंह राना	01.05.18 से लगातार	-
27	श्री राजीव शर्मा	01.08.18 से लगातार	-

नोट

- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुरितका में किया जावे तथा नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवही की जावे।
- सेवानिवृत्त/निधन हो चुके कर्मचारीगण के एरियर की राशि का भुगतान नगद रूप में उनके अंतिम पदस्थापन वाले न्यायालय से किया जावेगा।
- वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण को पदोन्नति दिनांक से 02.09.2016

Cont...

तक की एरियर की राशि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 के अनुसार उनके जी.पी.एफ खाते में जमा की जावेगी तथा दिनांक 01.01.2014 के पश्चात नवीन पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारीगण को उनकी एरियर की राशि का भुगतान नियमानुसार एन.पी.एस की कटौती करते हुए नगद रूप में उनके पदस्थापन वाले न्यायालय में किया जावेगा।

4. उक्त समस्त पदोन्नतियां शेट्टी आयोग की सिफारिश की अनुपालना में दिनांक 01.04.2003 से भूतलक्षी प्रभाव से एक तिथि विशेष को की गई है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि/भूल पाए जाने एवं राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश/आदेशों के अधीन अन्वया पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
5. वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किए जाएंगे, तब तक समस्त कर्मचारीगण अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।
6. उक्त आदेशों के अधधीन यदि किसी कर्मचारी को राशि का अधिक भुगतान हो जाता है तो उसे वापिस राज्यकोष में जमा कराने हेतु कर्मचारी को वचन पत्र देना होगा।
7. मा. राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 3189 दिनांक 23.03.2017 के द्वारा जिन कर्मचारियों की 45 वर्ष की आयु होने पर विभागीय परीक्षा में छूट प्रदान की गई है तथा जिन कर्मचारियों ने धौलपुर न्यायक्षेत्र में आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, के अलावा शेष पदोन्नत कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा उनकी पदोन्नति विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के शर्तों के अधधीन होगी तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर वे पदावनत भी किए जा सकेंगे।
8. रिट संख्या 7556/17 में पारित आदेश के अधधीन उक्त पदोन्नति/परिष्कृता/वरीयता रहेगी।
9. यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।


राजस्थान न्यायाधीश,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर 21/11/18

क्रमांक: रथा./2018/4403-4449

दिनांक : 02/08/2018

प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी लेखा-शाखा, जिला न्यायालय, धौलपुर
2. श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, धौलपुर
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर/बाडी
4. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.)/अ.जा./अ.ज.जा. अ.निवा. प्रकरण, धौलपुर
5. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
6. श्रीमान् अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-1/2/3 बाडी | कोमल
7. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या- 1/2/3 धौलपुर
8. श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर/बाडी/राजाखेडा
9. श्रीमान् न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बसेडी
10. कम्प्यूटर क्लर्क, जिला न्यायालय, धौलपुर
11. सर्व श्री
12. आदेश/संबंधित /व्यक्तिगत पत्रावली


मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय
धौलपुर